संख्या-168/2016/1130/22-2-2016-17(108)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री मुख्तयार निवासी जनपद-हापुड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल रिट याचिका सं0-19105/2014 जयवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 28.01.2016 द्वारा याची/बन्दी जयवीर सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर रिट याचिका (क्रिमिनल) सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में याची/बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर छः माह के अन्दर नवीन आदेश निर्गत किये जाने के साथ याचिका निस्तारित कर दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2016 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:-

..... It is for the State Government to take reasonable decision considering the fact that the petitioners are old persons aged above 67 years and they have served more than 17 years of imprisonment as life convicts and having regard to the law laid down by Hon'ble Apex Court and on humanitarian approach and also considering the personal liberty of petitioners guaranteed under Article 21 of Constitution of India, within six months' time upon representation submitted by each of the petitioners within one month from the date of receipt of copy this order. State Government shall take positive decision in the terms as indicated above and pass appropriate order in accordance with law.

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री मुख्तयार, निवासी ग्राम-खैरपुर खैराबाद, थाना-पिलखुवा, जनपद-हापुड का रहने वाला है। लगभग 03 वर्ष पूर्व चन्दर को जेब काटने के जुर्म में पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा पूछ-ताछ के दौरान सत्यप्रकाश द्वारा उसे बदमाश बताये जाने तथा सत्यप्रकाश के भाई की भैंसों की चोरी के इल्जाम में नन्नू को गिरफ्तार किये जाने के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19/20.10.1985 की रात्रि लगभग 11:30 बजे उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी एवं दो पुत्रियों को चाकू, फरसा एवं लाठी से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-144/1986 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 10.10.1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24-05-2016 तक 28 वर्ष 08 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 03 माह 28 दिन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने व पूरे समाज को प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुन: अपराध कारित कर सकने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सत्यप्रकाश के घर में घुसकर उसकी पत्नी एवं दो पुत्रियों की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री मुख्तयार को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2016 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयवीर (बन्दी संख्या-6582) पुत्र श्री मुख्तयार निवासी जनपद-हापुड के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-168/2016/1130(1)/22-2-2016 तद्वदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-168/2016/1130@22-2-2016-17(108)/2010

दिनांक 29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री मुख्तयार, निवासी ग्राम-खैरपुर खैराबाद, थाना-पिलखुवा, जनपद-हापुड का रहने वाला है। लगभग 03 वर्ष पूर्व चन्दर को जेब काटने के जुर्म में पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा पूछ-ताछ के दौरान सत्यप्रकाश द्वारा उसे बदमाश बताये जाने तथा सत्यप्रकाश के भाई की भैंसों की चोरी के इल्जाम में नन्नू को गिरफ्तार किये जाने के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19/20.10.1985 की रात्रि लगभग 11:30 बजे उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी एवं दो पुत्रियों को चाकू, फरसा एवं लाठी से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-144/1986 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 10.10.1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24-05-2016 तक 28 वर्ष 08 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 03 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने व पूरे समाज को प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुन: अपराध कारित कर सकने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सत्यप्रकाश के घर में घुसकर उसकी पत्नी एवं दो पुत्रियों की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र श्री मुख्तयार को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।